बिहार सरकार

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पत्रांक-प्र07-कि0आ0-06/2013 4695 /खाद्य,पटना/दिनांक- 24/7/2013

फैक्स
ई-मेल

प्रेषक,

प्रतिभा सिन्हा
विशेष कार्य पदाधिकारी ।

सेवा में,

अपर जिला दण्डाधिकारी(आपूर्ति), पटना
विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी, पटना ।
सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी ।

विषय :- थोक किरासन तेल विक्रेताओं द्वारा किरासन तेल के उठाव के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय पत्रांक- 1871 दिनांक- 13.07.2005 एवं 3430 दिनांक- 03.06.2013 के माध्यम से थोक किरासन तेल विक्रेताओं एवं जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं द्वारा निर्धारित तिथियों तक निर्धारित प्रतिशत मात्रा में किरासन तेल के उठाव हेतु निर्दिष्ट विभागीय निदेशों का कड़ाई से अनुपालन करने हेतु निदेशित है । किरासन तेल उठाव से संबंधित तेल कंपनियों से प्राप्त प्रतिवेदनानुसार आपके जिले के थोक किरासन तेल विक्रेताओं द्वारा दिनांक- 26.06.2013 तक पूर्ण कोटा का उठाव नहीं किया गया था जबकि उक्त तिथि तक पूर्ण आवंटित कोटा का अनिवार्य रूप से उठाव कर लिया जाना है । यह आपके द्वारा विभागीय निदेशों के अनुपालन में उदासीनता एवं विभागीय दायित्वों के निर्वहन में आपकी शिथिलता को परिलक्षित करता है ।

उपर्युक्त संदर्भ में अपना स्पष्टीकरण एक सप्ताह के अंदर उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय कि विभागीय निदेशों के अनुपालन में उदासीनता एवं विभागीय दायित्वों के निर्वहन में आपकी शिथिलता के आरोप में क्यों नहीं आपके विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई प्रारम्भ की जाय ।

विश्वासभाजन,
(ह0) 23/7/13
विशेष कार्य पदाधिकारी ।

ज्ञापांक- प्र07-कि0आ0-06/2013 4695 /खाद्य,पटना/दिनांक-24/7/2013

प्रतिलिपि- सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(ह0) 23/7/13
विशेष कार्य पदाधिकारी ।

D:\Year- 2013\Year-2012\Sec-7\K.OIL.doc